

प्रेषक:-

अमित नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक 08 जून, 2012

विषय:- ए0डी0बी0 प्रोजेक्ट, लोक निर्माण विभाग, (USRIP) उत्तराखण्ड सड़क सुधार कार्यक्रम के लिए स्वीकृत पदों की दिनांक 01 मार्च, 2012 से दिनांक 28 फरवरी, 2013 तक निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 596 / 111(3)06-904(ए0डी0बी0) / 05 दिनांक 22.08.2006, संख्या 605 / 111(3) / 06-904(ए0डी0बी0)2005, दिनांक 07.12.2007, संख्या 606 / 111(3) 06-904 (ए0डी0बी0)2005 दिनांक 25.03.2008, संख्या 62 / 111(3) / 09-904(ए0डी0बी0) 2005, दिनांक 05.03.2009, संख्या 273 / 111(3) / 10-904(ए0डी0बी0) / 2005, दिनांक 22.06.2010, संख्या 227 / 111(3) / 11-904(ए0डी0बी0) / 2005, दिनांक 23.05.2011 तथा संख्या 426 / 111(3) / 11-904(ए0डी0बी0) / 2005, दिनांक 20.09.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषित कार्यों के संचालन के लिये लोक निर्माण विभाग, के अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट(पी0एम0यू0) हेतु कुल सृजित निम्नलिखित 20 (13 पद + 7 पद) अस्थाई पदों की अग्रेत्तर दिनांक 01 मार्च, 2012 से दिनांक 28 फरवरी, 2013 तक बशर्ते की ये पद इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, निरन्तरता बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र. सं. 0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रु० में)	ग्रेड पे (रु० में)	भर्ती का श्रोत
पूर्व में शासनादेश दिनांक 22.08.2006 द्वारा स्वीकृत 13 पद					
1	प्रोजेक्ट डायरेक्टर	01	7400-67000	8900	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लो०नि०वि०, (प्रतिनियुक्ति)।
2	प्रोजेक्ट मैनेजर रोड डिजाईन एवं आदि।	01	15600-39100	7600	अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि० (प्रतिनियुक्ति)।
3	स्पेशल एण्ड पोवर्टी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट।	01	15600-39100	6600	अधिशाली अभियन्ता, स्तर (प्रतिनियुक्ति / संविदा)।
4	एन्वायरमेंटल एसेसमेंट स्पेशलिस्ट।	01	15600-39100	6600	अधिशाली अभियन्ता, स्तर (प्रतिनियुक्ति / संविदा)।
5	प्रोक्यूरमेंट एण्ड कान्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलिस्ट।	01	68,000(संहत)		यू०डेक टेण्डर के माध्यम से।

6	एकाउन्टकम/प्रोफेशनल	01	यू-डेक/टेण्डर के के माध्यम से		सी0एम0/एम0बी0एफ0/आई0सी0डब्लू0ए0 की व्यवस्था गतिमान।
7	प्रशासनिक सहायक/कनिष्ठ सहायक	01	5200-20200	1900	लो0नि0वि0, (प्रतिनियुक्ति)।
8	सहायक लेखाकार	01	5200-20200	2800	मुख्य सहायक, लो0नि0वि0, (प्रतिनियुक्ति)।
9	प्रवर सहायक	01	5200-20200	2400	संविदा/रीडिप्लायमेंट।
10	स्टेनो-स्वागती	01	5200-20200	2400	संविदा/रीडिप्लायमेंट।
11	सुरक्षाकर्मी	02	आउटसोर्सिंग से		संविदा/रीडिप्लायमेंट।
12	अनुसेवक	01	आउटसोर्सिंग से		संविदा/रीडिप्लायमेंट

शासनादेश दिनांक 20.09.2011 द्वारा स्वीकृत 07 पद

1.	अधिशाली अभियन्ता	01	15600-39100	6600	विभागीय अधिकारी से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
2.	सहायक अभियन्ता	01	15600-39100	5400	विभागीय अधिकारी से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
3.	कम्प्यूटर आपरेटर	01	नियत वेतन (सेवाप्रदाता संस्था के अनुसार)	-	वाह्य श्रोत/संविदा
4.	पुर्नवास विशेषज्ञ	01	नियत मानदेय 30000	-	वाह्य श्रोत/संविदा
5.	पर्यावरण विशेषज्ञ	01	नियत मानदेय 30000	-	वाह्य श्रोत/संविदा
	योग -	20			

- उक्त पदों के लिए शेष सभी शर्तें उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 22 अगस्त, 2006 दिनांक 07 दिसम्बर, 2007 तथा दिनांक 20.09.2011 के अनुसार रहेंगी।
- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के अनुदान संख्या 22 के लेखाशीर्ष 5054 सड़कों तथा सेतुओं का पूंजीगत व्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें, आयोजनागत-800-अन्य-97-विश्व बैंक सहायतित योजना/वाह्य/विश्व बैंक सहायतित योजना के अन्तर्गत सुदृढीकरण-24 वृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-387/XXVII(2)/2012, दिनांक 05 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

**(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव**

संख्या 174/।।।(3)/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायू मण्डल, पौडी/नैनीताल।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. परियोजना निदेशक, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. वित्त (व्यय अनुभाग) अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(महिमा)
अनु सचिव